तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/1757/2005/जयपुर** **गंग्या बनाम ज्ञाना देवी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.09.2022	**खण्डपीठ** **श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थित** 1– श्री उमेश गौड़, अभिभाषक अपीलांट 2– श्री अनिकेत शर्मा, अभिभाषक रेस्पो0 3– श्री श्याम बाबु, पारीक अभिभाषक रेस्पो0 4– श्री अनुराग पारीक, अभिभाषक रेस्पो0 **निर्णय** यह अपील डिक्री अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर कैंप बांदीकुई दिनांक 14.03.2005 प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बांदीकुई के समक्ष वादीगण/अपीलांट द्वारा एक दावा ईश्तकरारहक खातेदारी एवं हुक्मइम्तनाई दवामी का इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी खसरा नं0 861 से 871, 874 से 884, 393 व 895 से 897 कुल किता 26 कुल रकबा 4.51 हैक्टेयर है। जिसकी खातेदारी श्रवण पुत्र ग्यारसा हिस्सा 1/8, रामजीलाल, भगवानसहाय पुत्र श्रीया व कमला बेवा श्रीया, गंग्या उर्फ गंगल्या पुत्र कालु व सुरजन पुत्र कालु हिस्सा 3/4, ओमप्रकाश सुरेश मल्ला पुत्र लक्ष्मण व रसालबाई पुत्री लक्ष्मण हिस्सा 1/8 राजस्व अभिलेख में दर्ज है। श्रवण के पिता ग्यारसा ने एक नाता किया था जिसमें नाते से आई पत्नी के साथ उसके पुर्व पति से पैदा हुई एक लड़की ज्ञाना देवी थी जो रेस्पो0 नं0 1 है। हिंदू उत्तराधिकारी नियम के अनुसार श्रवण की संपत्ति पर ज्ञाना का कोई अधिकार नहीं है। जबकि श्रवण की खातेदारी भूमि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/1757/2005/जयपुर** **गंग्या बनाम ज्ञाना देवी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

का नामांतरकरण ज्ञाना देवी के नाम कर दिया गया जो नियम विरूद्ध है। परीक्षण न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय डिक्री दिनांक 27.09.2004 से वादी का वाद डिक्री कर दिया। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 ज्ञाना देवी ने अपीलीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर कैंप बांदीकुई के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14–03–2005 से स्वीकार करते हुए परीक्षण न्यायालय का निर्णय अपास्त कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील में सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय की पत्रावली से यह तथ्य भली प्रकार प्रमाणित है कि रेस्पो0 सं0 1 ज्ञाना देवी मृतक ग्यारसा पुत्र गायड़ा की जायन्दा पुत्री नहीं है। अतः वह श्रवण पुत्र ग्यारसा की असली बहन एवं उत्तराधिकारी नहीं है। अतः रेस्पो0 सं0 1 ग्यारसा की पुत्री नहीं है जिसे मृतक ग्यारसा की संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है। परीक्षण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य से इस तथ्य को प्रमाणित एवं पुष्ठ करार देकर अपीलांट्स का वाद डिक्री फरमाया था। परन्तु अपीलीय न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय अपास्त कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने साक्ष्य में स्वीकारोक्ति की है कि वादग्रस्त भूमि में इसका आधिपत्य कभीं नहीं रहा और ना है। रेस्पो0 सं0 1 की साक्ष्य सर्वथा असंगत विरोधाभासी असपष्ट एवं

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिकी/टी0ए0/1757/2005/जयपुर** **गंग्या बनाम ज्ञाना देवी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अनिश्चयात्मक है जिसके आधार पर उसे श्रवण की बहिन माना जा सकता है। रेस्पो0 सं0 1 ने जो मौखिक साक्ष्य पेश किये है वे साक्षीगण दुसरे गांव के हितबद्ध पक्षकार है जिनकी अस्पष्ट एवं विरोधाभासी साक्ष्य से अपीलांट्स का पक्ष प्रमाणित नहीं होते हुए भी परीक्षण न्यायालय ने आलोच्य निर्णय द्वारा रेस्पो0 सं0 1 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अपने न्यायिक विवेक का उचित निर्वहन नहीं किया है। अतः अपीलीधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी में मृतक श्रवण के वास्तविक उत्तराधिकारी होने के कारण वास्तविक एवं काबिज खातेदार है। रेस्पो0 सं0 1 को वादग्रस्त भूमि के किसी भू–भाग पर कोई अधिकार उत्पन्न नहीं हुये और न प्रमाणित है। प्रकरण में पक्षकार अनुसुचित जाति के सदस्य है जो हिंदू उत्तराधिकार विधि से शासित नहीं है बल्की समाज के रीति–रिवाजों से शासित होते है। अपीलांट्स ने अपने पक्ष को सुसंगत प्रभावकारी एवं प्रमाणकारी साक्ष्य से प्रमाणित किया है जिससे असहमति व्यक्त कर परीक्षण न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने का जो अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिया है वह निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने अपने बहस के समर्थन में आर0बी0जे0 2007 पेज 114, आर0आर0डी0 1981 पेज 361, आर0आर0डी0 पेज 51, आर0बी0जे0 2002 पेज 23, आर0बी0डी0 1992 पेज 608 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि गंग्या उर्फ गंगल्या श्रवण का वारिस नहीं है और ना ही वह अपने वाद में इस तथ्य को सिद्ध कर पाया है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि परीक्षण न्यायालय में दावा 9 व्यक्तियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था परंतु अनुतोष केवल गंग्या उर्फ गंगल्या के पक्ष में चाहा गया है। परीक्षण न्यायालय ने गंग्या उर्फ गंगल्या को श्रवण का वारिस	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिकी/टी0ए0/1757/2005/जयपुर** **गंग्या बनाम ज्ञाना देवी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

माना है जबकि वास्तव में श्रवण की वारिस ज्ञाना देवी है। इस संबंध में सिविल न्यायालय ने भी ज्ञाना देवी के पक्ष में निर्णय पारित किया है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि गंग्या उर्फ गंगल्या ने एक अन्य दावा भी प्रस्तुत किया है जिसमें उसके द्वारा अकेले श्रवण को वारिस नहीं मानकर 6 अन्य व्यक्तियों को भी श्रवण का वारिस मानकर खातेदारी की घोषणा चाही है। इस द्वितीय दावे में भी जिस भूमि का उल्लेख किया है उस भूमि का उल्लेख प्रथम दावे में भी किया हुआ है। परंतु उस भूमि के बारे में कोई अनुतोष प्रथम दावे में नहीं चाहा गया है। जहां तक श्रवण के उत्तराधिकारी होने का संबंध है जो गंग्या उर्फ गंगल्या को घोषित किया है वह क्षेत्राधिकार परीक्षण न्यायालय को नहीं था। परीक्षण न्यायालय ने गंग्या उर्फ गंगल्या को श्रवण का कानूनी वारिस मानकर खातेदार घोषित किया है जो किसी प्रकार भी तथ्य एवं प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। परीक्षण न्यायालय ने विधि विरूद्ध जाकर उसे खातेदार घोषित किया है जिसे अपीलीय न्यायालय ने निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं कि है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि परीक्षण न्यायालय ने गंग्या को श्रवण का वारिस मानकर विवादित भूमि का खातेदार घोषित किया है जबकि गंग्या का विवादित भूमि पर कब्जा ही प्रमाणित नहीं किया गया है। बिना कब्जे के आधार पर विवादित भूमि पर खातेदारी प्रदान करने का कोई आधार नहीं बनता है। उक्त तथ्य के आधार पर भी परीक्षण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध था जिसे अपीलीय न्यायालय ने निरस्त करने में कोई गलती नहीं की है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय के अंतिम पैरा में अंकित किया है कि –

‘‘ मृतक श्रवण का एकमात्र कानूनी वारिस गंग्या उर्फ

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिकी/टी0ए0/1757/2005/जयपुर** **गंग्या बनाम ज्ञाना देवी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गंगल्या है। यहां यह स्पष्ट करना उचित होगा की अधीनस्थ न्यायालय में ऐसी कोई तनकी पारित नहीं की है जिसमें वादी को सिद्व करना था कि वह श्रवण का कानूनी वैध वारिस है। वस्तुतः तनकी नं0 1 के अनुसार वादी को सिद्व करना था कि वह विवादित भूमि के हिस्से 1/8 पर खातेदार घोषित किये जाने का अधिकारी है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ज्ञाना को श्रवण का उत्तराधिकारी नहीं माना है। अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई विवादक निर्णय हेतु नहीं था। वस्तुतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि गंग्या उर्फ गंगल्या उसके ताउ कालु की संतान है। अधीनस्थ न्यायालय का यह मंतव्य समझ के बाहर है। गंग्या उर्फ गंगल्या उसके ताउ की संतान कैसे है, इस पर प्रकाश नहीं डाला गया है कि क्या वह ताउ के गोद गया था। अतः गोद का पुत्र है केवल कालु की कोई संतान नहीं होने से यह मानकर कि उनके रिश्ते में कालु के सबसे नजदीकी रिश्तेदार गंग्या उर्फ गंगल्या है उसके अकेले के हिस्से में खातेदारी की घोषणा नहीं की जा सकती है। यहां यह स्पष्ट करना उचित होगा कि जो योग्य अधीनस्थ न्यायालय में जो वादपत्र प्रस्तुत किया गया है वह 9 व्यक्तियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जबकी अनुतोष केवल एक व्यक्ति गंगल्या के द्वारा चाहा गया है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गंग्या उर्फ गंगल्या को श्रवण का कानूनी वैध एकमात्र वारिस मानकर खातेदार घोषित किया है जो किसी प्रकार से तथ्यों व कानून के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बढ़कर गंग्या उर्फ गंगल्या को श्रवण का वारिस मानकर विवादित भूमि का खातेदार घोषित किया है जबकि गंग्या उर्फ गंगल्या का विवादित भूमि में कब्जा भी प्रमाणित नहीं किया गया है। बिना कब्जे के आधार पर विवादित भूमि पर खातेदारी प्रदान करने का कोई आधार नहीं बनता है। जहां तक श्रवण के उत्तराधिकारी होने का संबंध है जो गंगल्या को घोषित किया गया है वह क्षेत्राधिकार भी अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है।''	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिकी/टी0ए0/1757/2005/जयपुर** **गंग्या बनाम ज्ञाना देवी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

इस अपील प्रकरण में उपरोक्त समस्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के विवरण एवं दस्तावेजात के आधार पर स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमियों में संबंधित मृतक खातेदार के उत्तराधिकार के प्रश्न का निर्धारण करने हेतु उसके विधिक वारिसान का निर्धारण किया जाना और उन सभी विधिक वारिसों के हक–हिस्से का निर्धारण किया जाना आवश्यक था। मृतक के सभी विधिक वारिसों के निर्धारण और उनके हक हिस्से के निर्धारण के अभाव में विवादित भूमियों के संबंध में उक्त प्रकरण का न्यायसंगत व विधिसंगत रूप से निर्णय किया जाना सम्भव नहीं था। परन्तु इस प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त तथ्यात्मक व विधिक स्थिति की पूर्णतया उपेक्षा की है जिसके कारण वादग्रस्त भूमियों में सभी संबंधित विधिक वारिसों के हक व हिस्से का प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त और प्रचलित विधि के अनुसार निर्धारण किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। उक्त स्थिति पर एक अतिरिक्त विवाद्यक बिन्दु का निर्माण कर उस पर उभय पक्ष की साक्ष्य व सुनवाई के पश्चात् वाद का निर्णय किया जाना अपेक्षित है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधिसंगत नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है। मूल वाद में पूर्व से निर्मित दो तनकियों के अलावा एक नई तनकी सं0 3 निम्न प्रकार बनाये जाने का आदेश दिया जाता है :–

> ''आया मृतक खातेदार के विधिक वारिस कौन–कौन थे और उन विधिक वारिसों का कितना कितना हक व हिस्सा वादग्रस्त भूमियों में बनता है ?''

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर कैंप बांदीकुई द्वारा पारित निर्णय व दिनांक 14.03.2005 अपास्त किया जाता है तथा न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बांदीकुई को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है उपुर्यक्त अंकित अनुसार तनकी सं0–3 बनाई जाकर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिकी/टी0ए0/1757/2005/जयपुर** **गंग्या बनाम ज्ञाना देवी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	समस्त तनकियों पर नये सिरे से उभय पक्ष को लिखित व मौखिक साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का विधि अनुसार अन्तिम निर्णय पारित करें। उभय पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि वे न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर कैंप बांदीकुई के समक्ष दिनांक 28–10–2022 को पेश हो। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य** **(राजेश्वर सिंह)** **अध्यक्ष**	